कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग

पत्रांकः 1722 /33-1, दिनांक, लखीमपुर-खीरी, अक्टूबर / 15 / 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
उ0प्र0-लखनऊ।

विषयः- **विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला-शाहजहाँपुर मार्ग (एस0एच0-93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.000 से 49.000 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 47.1हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 49.098हे0 वन भूमि तथा शाहजहाँपुर में किमी0 49.000 से 59.000 तक 8.00 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 57.098हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।**

संदर्भः- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ मण्डल उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 644/गोला-शाहजहाँपुर मार्ग दिनांक 26 सितम्बर 2016

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में संदर्भित पत्र में अंकित आपत्तियों का निराकरण करते हुये अपेक्षित अभिलेख/सूचना प्रेषित की जा रही है।

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	2	3
1.	शाहजहाँपुर एवं खीरी में ऑनलाइन पार्ट-2 में अंकित ईको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व त्रुटिपूर्ण है।	ठीक कर दिया गया है।
2.	खीरी के प्रस्ताव में 95 हे0 अवनत वनभूमि एवं 2.165 हे0 गैर वनभूमि के क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन में प्रति वर्ष अनुमानित वृद्धि का समावेश नहीं किया गया है। संलग्न प्राक्कलन पर प्रभागीय निदेशक के मूल हस्ताक्षर व सील अंकित नहीं है।	निर्देशानुसार प्राक्कलन संलग्न है तथा प्राक्कलन पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर हैं।
3.	शाहजहाँपुर में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में नहीं है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में संलग्न है।
4.	प्रस्ताव के पृष्ठ-123ए पर संलग्न दक्षिण खीरी की एन0पी0वी0 की गणना त्रुटिपूर्ण है। ऑनलाइन पार्ट-2 में संशोधित ईको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व के अनुसार गणना संलग्न करें एवं उक्त संशोधित गणना को Additional information details पर पुनः अपलोड करें।	संशोधित ईको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है।
5.	शाहजहाँपुर एवं खीरी में वनाधिकार अधिनियम-2006 के अर्न्तगत जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र के साथ उसके संलग्नक संलग्न नही है। पूर्व में भी स्पष्ट रूप से लिखने के उपरान्त भी भारत सरकार के नवीन दिशा निर्देश दिनांक 28.10.14 के आलोक में जिलाधिकारी का मूल प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है।	मूल में संलग्न है।
6.	शाहजहाँपुर के ऑनलाइन पार्ट-2 में बिन्दु 5, 6 एवं 7 की सूचना त्रुटिपूर्ण है।	प्रभाग से संबंधित नहीं है।

——*शेष पृष्ठ 2 पर*

अतः अनुरोध है, कि विषयक प्रस्ताव को स्वीकृति करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

(अखिलेश पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर–खीरी।

पत्रांक : /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियन्ता विश्व बैंक परियोजना, निर्माण भवन, 96 महात्मागांधी मार्ग लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अखिलेश पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर–खीरी।